संख्या–3348/आठ–1–10–17विविध/03टी.सी.–।

प्रेषक,

डा0 जे0एन0 चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 5 अगस्त, 2010

विषयः– भू–जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली तथा पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण सम्बन्धी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भू–जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग विधा को अपनाएं जाने तथा पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी कृपया निम्नलिखित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:–

(1) शासनादेश संख्या–2085/9–आ–3–99–23विविध/99, दि0 20 मई, 1999
(2) शासनादेश संख्या–1703ए/9–आ–1–29विविध/98, दि0 12.4.2001
(3) शासनादेश संख्या–3631/9–आ–1–17विविध/2003, दि0 19.6.2003
(4) शासनादेश संख्या–यू0ओ0–35/आठ–1–2005, दिनांक 25.04.2006
(5) शासनादेश सं0–3982/आठ–1–08–17विविध/03टी.सी.–1, दि0 01 जुलाई, 2008
(6) शासनादेश संख्या–1595/आठ–1–09–17विविध/03टी.सी., दि0 19.6.09।

2. उपर्युक्त शासनादेशों के क्रम में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को लागू किये जाने और वृक्षारोपण सुनिश्चित करने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्राविधान किये गये हैं, जिसके अनुसार मानचित्र स्वीकृति तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करते समय रूफ–टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं भू–जल रिचार्जिंग हेतु विद्यमान तालाबों/जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का प्राविधान अनिवार्य किया गया है। परन्तु भू–जल स्रोतों के अनवरत् एवं अनियंत्रित दोहन के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में भू–जल स्तर निरन्तर गिर रहा है एवं सतही जल स्रोत, विशेष रूप से तालाब, पोखर, जलाशय नदी, नाले, आदि धीरे–धीरे सूख रहे हैं। इस प्रकार पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण की दृष्टि से जल संरक्षण एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है और समय रहते यदि इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, तो निकट भविष्य में जन–सामान्य को जल संकट का विकट सामना करना पड़ सकता है।

3. रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा वृक्षारोपण के संबंध में यद्यपि आवास विभाग के अभिकरणों हेतु शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और इनकी प्रगति का अनुश्रवण शासन द्वारा निरन्तर किया जाता है, परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि ग्राउण्ड लेबल पर इस कार्यक्रम के कियान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जो एक चिन्ता का विषय है। अतः इस संबंध में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों तथा समय–समयय पर जारी शासनादेशों के क्रम में मुझे पुनःयह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूजल संरक्षण एवं रिचार्जिंग तथा पर्यावरण सुधार हेतु निम्न निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

3.1 भूजल संरक्षण एवं रिचार्जिंगः

(1) रेनवाटर हार्वेस्टिंग नीति के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले भवनों में रूफ–टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाय। इस हेतु मानचित्र स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) नगरीय क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों, जलाशयों आदि को राजस्व अभिलेखों के अनुसार चिन्हित कर महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/ले–आउट प्लान में उन्हें संरक्षित कियाजाय और उनमें केवल वर्षा जल के **"सरफेस रन–आफ"** को मिलाने की व्यवस्था की जाय। तालाबों, पोखरों, जलाशयों आदि को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण/कब्जों से मुक्त रखा जाय और उनका जीर्णोद्धार भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में पार्क एवं खुले क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना के कुल क्षेत्रफल की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु नए जलाशयों का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ एवं अधिकतम गहराई 3 मीटर रखी जाय। निर्मित किये जाने वाले जलाशय के अन्तर्गत उस योजना के "सरफेस रन–आफ" को मिलाने की व्यवस्था की जाय।

(4) 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी यथासम्भव उपरोक्तानुसार नये जलाशय बनाये जायें तथा पार्क एवं खुले क्षेत्रों में कोने पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु रिचार्ज पिट/रिचार्ज शाफ्ट बनाये जाएं।

(5) रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित रिचार्ज स्ट्रक्चर/पद्धति के अनुरक्षण एवं रख–रखाव का कार्य संबंधित विभाग/संस्था/लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

(6) जलरोध (वाटर लॉगिंग) की समस्या से ग्रसित क्षेत्रों में भूजल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनायी जाए, परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

3.2 वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधारः

(क) सड़कों के किनारे वृक्षारोपण :

(1) पर्यावरण सुधार हेतु 9 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से

कम चौड़ी सड़कों के एक ओर तथा 12 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाय। पेड़ों के मध्य की दूरी 10 मीटर से अधिक न रखी जाय। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइजर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर भी वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाय।

(ख) आवास भूखण्डों में :

(I) 200 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड के अन्दर न्यूनतम एक पेड़ लगाया जाय।

(II) 200 से 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में दो पेड़ लगाए जाएं।

(III) 300 से 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में चार पेड़ लगाये जाएं।

(IV) समूह आवासीय योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ लगाए जाएं भवन मानचित्र के साथ लैण्डस्केपिंग प्लान का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

(V) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार, आदि योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाए जायेंगे।

(ग) औद्योगिक क्षेत्र में:

(I) प्रति 80 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से पेड़ लगाये जाएं।

(II) औद्योगिक विकास योजना मे कुल अनुमन्य खुले स्थल पर 20 प्रतिशत भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाय जाएं।

(III) बड़े प्रदूषणकारी उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से सघन ग्रीन बेल्ट द्वारा पृथक किया जाय , जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(IV) औद्योगिक विन्यास मानचित्र के साथ लैण्डस्केप प्लान का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(घ) व्यावसायिक क्षेत्र में:

(I) प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर एक पेड़ लगाया जाय।

(II) वाणिज्यिक योजना में कुल अनुमन्य खुले स्थल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी, जहॉ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जाएं।

(च) संस्थागत/सामुदायिक सुविधाओं के भूखण्डों में :

कुल क्षेत्रफल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी, जहॉ प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाय।

(छ) पार्कों में:–

प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ लगाएं जाएं।

(ज) क्रीडा स्थल/खुले क्षेत्रों में:

ऐसे सभी स्थलों के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी, जहॉ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ लगाएं जाएं।

(झ) आवासीय एवं संस्थागत भूखण्डों के आगे ग्रीनवर्ज का विकासः
भविष्य में विकसित की जाने वाली योजनाओं में आवासीय तथा संस्थागत भूखण्डों/भवनों के आगे "राइट–ऑफ–वे" के पश्चात् न्यूनतम 5 फिट चौड़ी ग्रीन वर्ज का प्राविधान किया जाए, जिसके अन्तर्गत घास की पट्टी तथा वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक भूखण्ड/भवन को "ग्रीन फ्रन्टेज" उपलब्ध हो, जो पर्यावरण सुधार के साथ–साथ कालोनी के सौन्दर्यीकरण में भी उपयोगी होगा।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास आयुक्त तथा विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों द्वारा विद्यमान तालाबों के संरक्षण और नयी योजनाओं में नए जलाशयों के सृजन एवं उनके रखरखाव की व्यक्तिगत रूप से मौके पर पुष्टि कर शासन को प्रत्येक माह नियमित रूप से सूचना प्रेषित की जायेगी। यदि उक्त निर्देशों के अनुपालन में कोई शिथिलता शासन के संज्ञान में आती है, तो संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

डा0 जे0एन0 चैम्बर
प्रमुख सचिव

संख्या–3348 (1)/आठ–1–2010, तद्दिनांक ।

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।
5. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासनादेश को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड कराते हुए, शासनादेश की प्रतियॉ समस्त संबंधित को प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
उप सचिव